न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 537/2016

श्योराम पुत्र नानूडा जाति जाट, निवासीः ढाको की ढाणी, रामसिंहपुरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र रामदेव (फौत)
   1/1 नान्छी देवी बेवा गंगाराम
   1/2 जीवणराम पुत्र गंगाराम
   1/3 फुलाराम पुत्र गंगाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र रामदेव
3. जगन्नाथ पुत्र रामदेव
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र सागरमल
5. अशोक कुमार पुत्र सागरमल
6. छोटी देवी पत्नि सागरमल
7. कल्याण पुत्र गोपी
8. भोलूराम पुत्र भैरूराम (फौत)
   8/1 बिदामी देवी पत्नि भोलूराम
   8/2 कैलाश पुत्र भोलूराम
   8/3 सीतारा पुत्र भोलूराम
   8/4 सुख्तानी देवी पुत्री भोलूराम
   8/5 गीता देवी पुत्री भोलूराम
   8/6 रतनी देवी पुत्री भोलूराम
9. छीतरमल पुत्र बोदू
10. हीरालाल पुत्र बोदू
11. ईश्वर पुत्र बोदू
12. कन्हैयालाल पुत्र भैरूराम
13. रामकरण पुत्र भैरूराम
    समस्त जाति जाट निवासीः ढाको की ढाणी, रामसिंहपुरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
14. एस.बी.आई बैंक शाखा जोबनेर जरिये प्रबंधक जिला जयपुर।
15. तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.04.2016 एवं संशोधित निर्णय डिक्री दिनांक 05.05.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर वाद सं. 57/2016 उनवानी गंगाराम व अन्य बनाम श्योराम व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री बंशीधर जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री शिवसिंह चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

एवम्

अपील संख्या : 494/2016

श्योराम पुत्र नानूडा जाति जाट, निवासीः ढाको की ढाणी, रामसिंहपुरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र रामदेव (फौत)
   - 1/1 नान्छी देवी बेवा गंगाराम
   - 1/2 जीवणराम पुत्र गंगाराम
   - 1/3 फुलाराम पुत्र गंगाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र रामदेव
3. जगन्नाथ पुत्र रामदेव
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र सागरमल
5. अशोक कुमार पुत्र सागरमल
6. छोटी देवी पत्नि सागरमल
7. कल्याण पुत्र गोपी
8. भोलूराम पुत्र भैरूराम (फौत)
   - 8/1 बिदामी देवी पत्नि भोलूराम
   - 8/2 कैलाश पुत्र भोलूराम
   - 8/3 सीतारा पुत्र भोलूराम
   - 8/4 सुख्तानी देवी पुत्री भोलूराम
   - 8/5 गीता देवी पुत्री भोलूराम
   - 8/6 रतनी देवी पुत्री भोलूराम
9. छीतरमल पुत्र बोदू
10. हीरालाल पुत्र बोदू
11. ईश्वर पुत्र बोदू
12. कन्हैयालाल पुत्र भैरूराम
13. रामकरण पुत्र भैरूराम

    समस्त जाति जाट निवासीः ढाको की ढाणी, रामसिंहपुरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
14. एस.बी.आई बैंक शाखा जोबनेर जरिये प्रबंधक जिला जयपुर।
15. तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.07.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर वाद सं. 57/2016 उनवानी गंगाराम व अन्य बनाम श्योराम व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री बंशीधर जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री शिवसिंह चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांकः 09/12/2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.04.2016 व संशोधित निर्णय डिक्री दिनांक 05.05.2016 एवं एक अन्य अपील निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.07.2016 वाद संख्या 57/2016 उनवानी गंगाराम व अन्य बनाम श्योराम व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत विभाजन एवं तरमीम दुरूस्ती इस आशय का प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 17 के आराजी खसरा नंबर 1, 2, 5/1, 7, 28, 30/1, 35/1, 37/1, 42/1, 44, 45/1, 46/1 एवं 90/46 कुल किता 13 कुल रकबा 105 बीघा 17 बिस्वा ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जो वर्तमान में वादीगण की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 5/3, 14/2, 15, 22, 27, 30/3, 35/2, 37/2, 42/2, 44/2, 45/2 एवं 46/3 कुल किता 12 कुल रकबा 35 बीघा 6 बिस्वा ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त दोनो खाता के खसरा नंबरान पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त में था जिसका विभाजन किया जाकर वादीगण के 105 बीघा 17 बिस्वा भूमि व 35 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर जमाबंदी में अलग—अलग खाते अंकित किये गये किन्तु इनका राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं किया गया केवल मात्र जमाबंदी में ही विभाजन के अनुसार भूमि दर्ज कर दी गई। जिसके पश्चात् सभी पक्षकारान ने अपने अपने हिस्से में विभाजन के अनुसार मौके पर अपने अपने हिस्से में पुख्ता मकानात, कुऐ, बोरिंग बना लिये है, परन्तु विभाजन के अनुसार मौके के कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में उक्त भूमि की तरमीम नहीं की गई है इस कारण खसरा नंबरान की तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार आराजी खाता संख्या 20 की आराजी खसरा नंबर 39, 40, 41, 47, 48, 49 एवं 50 कुल रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा ग्राम रामसिंहपुरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित आराजी है जिस पर पक्षकारान मौके के कब्जे काश्त के अनुसार वर्षो से काबिज होकर भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से को उन्नत व विकसित कर रखा है परन्तु विधिक रूप से विभाजन नहीं हो रखा है। अभी कुछ समय पूर्व वादी ने प्रतिवादी को आराजीयात का कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी ने स्पष्ट इंकार कर दिया एवं मनचाही जगह कब्जा करने को कहा। इस कारण वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन किया जावे, लगान की फाटबंदी की जावे एवं रास्ता भी दर्ज किया जावे। वादीगण का वाद बाबत दुरूस्ती तरमीम डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वर्तमान जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजस्व नक्शे में उपरोक्त आराजी की तरमीम मय रास्ता की जावे। दावा दर्ज रंजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन वाद दिनांक 04.04.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की जिस पर वकील वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. पेश करने पर दिनांक 05.05.2016 को संशोधित निर्णय डिक्री पारित की। तत्पश्चात् वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 05.07.2016 को अंतिम रूप से प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की। तत्पश्चात् तहसीलदार से कुरैजात प्रस्तुत होने पर कुरैजात पर बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 09.07.2016 द्वारा वाद अंतिम डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस तामील नहीं करवाये गये है व ना ही अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है एवं ना ही अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री बाबत कोई सहमति ही प्रदान की हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से ही विभाजन किया है जो कि विधि विरूद्व है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2018–19 (Supp.) आर. आर.टी 394 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है यदि उन्हे कोई वास्तविक आपत्ति होती तो वह इस संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे। किन्तु फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016–17 (Supp.) आर.आर.टी. 714 पेश किया।

4. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन एवं तरमीम दुरूस्ती बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2016 को प्राथमिक डिक्री किया गया जिस पर वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. पेश करने पर दिनांक 05.05. 2016 को संशोधित निर्णय डिक्री पारित की। तत्पश्चात् वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 05.07.2016 को अंतिम रूप से प्राथमिक निर्णय डिक्री. पारित की, उक्त दिनांक 05.07.2016 को पारित निर्णय व डिक्री अंतिम रूप से प्राथमिक निर्णय डिक्री है। तत्पश्चात् तहसीलदार से कुरैजात प्रस्तुत होने पर कुरैजात पर बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 09.07.2016 द्वारा वाद अंतिम डिक्री किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व संलग्न दस्तावेज का समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात बाबत विभाजन व तरमीम दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण द्वारा खाता संख्या 17 में वर्णित खसरा नंबरान व खाता संख्या 21 में वर्णित खसरा नंबरान के बाबत तरमीम दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया एवं खाता संख्या 20 में वर्णित खसरा नंबरान के विभाजन का अनुतोष चाहा गया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी इत्यादि के अवलोकन से पाया गया कि खाता संख्या 21 में वर्णित खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नंबरान की कुल भूमि 35 बीघा 6 बिस्वा अकेले संपूर्ण प्रतिवादी के नाम अंकित है जिसका वर्णन वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में पूर्व में बंटवारा होने के कारण खाता संख्या 21 की भूमि विभाजन के पश्चात् प्रतिवादी के नाम होना बताया गया है एवं खाता संख्या 17 में वर्णित खसरा नंबरान की कुल भूमि 105 बीघा 17 बिस्वा विभाजन के पश्चात् वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जिसकी तरमीम होना शेष होने से उक्त खाता नंबरान 17 व 21 के बाबत तरमीम दुरूस्ती चाही गई थी। खाता संख्या 20 में वर्णित खसरा नंबरान की कुल भूमि 26 बीघा 9 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी की अविभाजित आराजीयात है जिसका विधिवत विभाजन का अनुतोष वादपत्र में चाहा गया है। अधिनस्थ न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2016 के संबंध में निर्णय को संशोधित करवाये जाने हेतु धारा 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसे स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2016 को संशोधित निर्णय व डिक्री जारी की गई। तत्पश्चात् दिनांक 05.07.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री को पुनः संशोधित करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खाता संख्या 17, 21 एवं 20 में वर्णित खसरा नंबरान के विभाजन किये जाने बाबत संशोधित प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की गई। जबकि खाता संख्या 17 व खाता संख्या 21 का विभाजन पूर्व में ही हो चुका था जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि को देखने से सुस्पष्ट है एवं वादीगण द्वारा भी खाता संख्या 17 व 21 के बाबत विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा गया था किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजित भूमि को पुनः विभाजित किये जाने का आदेश पारित कर महान विधिक त्रुटि कारित की है। वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित भूमि में विभाजन मात्र खाता संख्या 20 में वर्णित खसरा नंबरान का होना था एवं खाता संख्या 17 व 21 के बाबत मात्र तरमीम दुरूस्ती का अनुतोष दिया जाना था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा वाद में चाहे गये अनुतोष के परे जाकर प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य पायी जाती है। परिणामस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय डिक्री भी स्वतः खारिज है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होता है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री व अंतिम निर्णय डिक्री खारिज की जाती है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जवाबदावा ग्रहण कर, दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकी विरचित कर, उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.01.2020 को उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर